# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

## पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 26/2024

बउनवान

1. राधेश्याम उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम कोयला तहसील व जिला बारां (राज०) मो.नं. 9799193942
2. रूकमणी बाई उम्र 56 वर्ष पुत्री श्री शंकरलाल पत्नि श्री रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी ग्राम कोयला तहसील व जिला बारां हाल निवासी ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद जिला कोटा (राज०)

अपीलांट्स

बनाम

1. दिलीप पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार
2. रेखा पुत्री नाथूलाल जाति कुम्हार
3. राजेश पुत्री नाथूलाल जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम कोयला तहसील व जिला बारां हाल निवासी अहीर मोहल्ला, हॉस्पिटल के पीछे, केलवाड़ा तह० शाहबाद जिला बारां (राज०)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज०) रेस्पोडेन्टगण

जिला कलैक्टर न्यायालय बारां (राज०)

**अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 689 दिनांक 08.06.2000 नायब तहसीलदार बारां**

**अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट**

उपस्थितः 1. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक (अपीलांट्स)

2. श्री सचिन शर्मा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट्स)

**निर्णय दिनांक 22.01.2025**

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाके माल ग्राम कोयला पटवार हल्का कोयला तहसील बारां की आराजी वर्तमान खाता संख्या नया 429 पुराना 429 खसरा नं0 1774 रकबा 0.98 है0 किस्म बरानी–2 में दिनांक 08.06.2000 को खोले गये इंतकाल नं0 689 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि शंकरलाल के दो पुत्र नाथूलाल व अपीलान्ट क्रम 01 राधेश्याम तथा एक पुत्री अपीलान्ट क्रम 02 रूकमणी है। शंकरलाल की दिनांक 23.02.1994 को मृत्यु होने के बाद अपीलान्टगण ने उक्त इंतकाल अपने नाम से तस्दीक करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेज पेश कर दिये थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के नाम गलत दर्ज करके भारी कानूनी भूल की है, क्योंकि शंकरलाल के श्यामलाल एवं सुमित्रा बाई नाम से कोई संतान ही नही थी। मृतक शंकरलाल के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है–

शंकरलाल उर्फ शंकर पुत्र किशना कुम्हार (फौत 23.02.1994)

| पुत्र | बेवा | पुत्री |
|---|---|---|
| | ज्याना बाई (फोत) | रूकमणी बाई |

पुत्र: नाथूलाल, राधेश्याम

नाथूलाल: पुत्र दिलीप; पुत्री 1. रेखा 2. राजेश

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गये इंतकाल में अपीलान्टगण के नाम में त्रुटि की गई है, अपीलान्ट क्रम 01 का नाम राधेश्याम पुत्र शंकरलाल के स्थान पर सहवन एवं राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से श्यामलाल पुत्र शंकर एवं अपीलान्ट क्रम 02 पुत्री शंकरलाल का नाम, रूकमणी बाई के स्थान पर सुमित्रा बाई पुत्री शंकर गलत दर्ज कर दिया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.14 10:07:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

किये जाने योग्य है। अपीलान्टगण का इंतकाल खुलने से पूर्व समस्त राजकीय दस्तावेजात में अपीलान्ट क्रम 01 का नाम राधेश्याम पुत्र शंकरलाल एवं अपीलान्ट क्रम 02 का रूकमणी बाई पुत्री शंकरलाल नाम दर्ज था, लेकिन इंतकाल खोलते समय राधेश्याम के स्थान पर श्यामलाल पुत्र शंकर एवं रूकमणी बाई के स्थान पर सुमित्रा बाई पुत्री शंकर नाम दर्ज कर दिया। इंतकाल नं0 689 तस्दीक करते समय किसी भी प्रकार की सूचना खातेदारान को नही दी गई, जो यह बता सके कि मृतक शंकर के वारिस कौन–कौन है तथा बिना जांच किये ही इंतकाल तस्दीक कर दिया। अपीलान्टगण के भाई नाथूलाल की भी मृत्यु हो गई है। नाथूलाल की मृत्यु उपरान्त राजस्व कर्मचारियों ने नामांतरण संख्या 2808 दिनांक 12.01.2022 को तस्दीक किया, इस दौरान भी अपीलान्टगण को कोई सूचना नही दी गई। उक्त इंतकाल में गलत नाम दर्ज होने की वजह से अपीलान्टगण सरकारी सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम गलत दर्ज है एवं अन्य समस्त दस्तावेजात में नाम वास्तविक रूप से सही दर्ज है। इस विरोधाभास की वजह से कृषि आराजी पर किसी भी सुविधा का लाभ अपीलान्टगण को नही मिल रहा है, जिससे अपीलान्टगण को भारी आर्थिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर इन्तकाल नं0 689 दिनांक 08.06.2000 न्यायालय नायब तहसीलदार बारां में अपीलान्ट क्रम 01 का नाम श्यामलाल पुत्र शंकर के स्थान पर राधेश्याम पुत्र श्री शंकरलाल एवं अपीलान्ट क्रम 02 का नाम सुमित्राबाई पुत्री शंकर के स्थान पर रूकमणी बाई पुत्री शंकरलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट्स का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजात यथा जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक एकाउंट, परिवार राशन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि में अपीलांट्स का नाम राधेश्याम एवं रूकमणी बाई अंकित है, लेकिन इंतकाल खोलते समय राधेश्याम के स्थान पर श्यामलाल तथा रूकमणी बाई के स्थान पर सुमित्राबाई दर्ज कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर इन्तकाल नं0 689 दिनांक 08.06.2000 न्यायालय नायब तहसीलदार बारां में अपीलान्ट क्रम 01 का नाम श्यामलाल पुत्र शंकर के स्थान पर राधेश्याम पुत्र श्री शंकरलाल एवं अपीलान्ट क्रम 02 का नाम सुमित्राबाई पुत्री शंकर के स्थान पर रूकमणी बाई पुत्री शंकरलाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट्स ने सहखातेदार दिलीप एवं अन्य ग्रामवासियान के शपथ पत्र पेश किये।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अभिभाषक अपीलांट्स के कथन की पुष्टि की तथा अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने का कथन किया।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स द्वारा अपील के समर्थन में श्यामलाल का वास्तविक व दस्तावेजी नाम राधेश्याम होने के संबंध में जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक एकाउंट, परिवार राशन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा सुमित्राबाई का वास्तविक व दस्तावेजी नाम रूकमणीबाई होने के संबंध में पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक एकाउंट पासबुक की छायाप्रति तथा सहखातेदार दिलीप एवं अन्य ग्राम वासियान के शपथपत्र पेश किये। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर ग्राम कोयला का नामान्तरकरण संख्या 689 दिनांक 08.06.2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक शंकरलाल उर्फ शंकर पुत्र किशना जाति कुम्हार निवासी कोयला के विधिक वारिसान के संबंध में जांच कर पुनः नये सिरे से नामांतकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.14 10:07:34 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,बारां

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

01. यह कि न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार साहब बारां